राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 492/2025

ओंकारमल मीणा —**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—**प्रत्यर्थीगण**

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश बिश्नोई, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर बीसीएमओ, श्रीमाधेपुर, सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के क्रम संख्या 269 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उंकारमल मीणा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक बीसीएमओ श्रीमाधोपुर, सीकर से बीसीएमओ बांदीकुई दौसा किया गया है। उक्त आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम गलत दर्शाया गया है। अपीलार्थी का नाम ओंकार मल मीणा है तथा इसी नाम से जाना जाता है। सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी का नाम ''ओंकार मल मीणा'' है, परन्तु आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम ''उंकारमल मीणा'' अंकित किया गया है, जो बिना मस्तिष्क के प्रयोग किये जारी किया गया है। आलोच्य आदेश में त्रुटिपूर्ण आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय ने नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित न्यायिक दृष्टांत में त्रुटिपूर्ण आदेश को अनुचित एवं अवैध माना है। इसलिए आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.

2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अतः अपील ग्राह्य की जाती है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य